न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/टी0ए0/3656/2006/अजमेर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़।

प्रार्थी.....

बनाम

1– चैनसुख पुत्र रामचन्द्र खाती निवासी फरासिया किशनगढ़।

2– प्रेमचंद पुत्र चैनसुख खाती निवासी फरासिया किशनगढ़।

3– दुलीचंद पुत्र भंवरलाल पाटनी निवासी उंटड़ा, अजमेर (मृतक) जरिये वारिसान

3/1– बसन्तीलाल (मृतक) जरिये वारिसान

3/1/1– शशि पत्नी बसन्तीलाल

3/1/2– राकेश पुत्र बसन्तीलाल

3/2– राजकुमार पुत्र दुलीचंद (मृतक) जरिये वारिसान

3/2/1– मंजू पत्नी राजकुमार

3/2/2– दीपक पुत्र राजकुमार

3/2/3– अभिषेक पुत्र राजकुमार

4– गुमानबाई पत्नी दुलीचंद (फौत)

5– श्रीमती शशि प्रभा पत्नी बसन्तीलाल पाटनी

6– मंजू पत्नी राजकुमार पाटनी

अप्रार्थी.....

एकलपीठ

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितिः–

श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 05.09.2023

यह रेफरेन्स अपर जिला कलेक्टर, अजमेर के द्वारा अंतर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 22–05–2006 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, किशनगढ़ ने धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के

अन्तर्गत विद्वान अपर जिला कलेक्टर, अजमेर को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने वाद संख्या 07/1987 में दिनांक 15.12.1987 को निर्णय करते हुये अप्रार्थी चैनसुख एवं प्रेमचंद को विवादित आराजी खसरा नंबर 452 एवं 453 कुल रकबा 11 बीघा भूमि पर नियम विरूद्ध खातेदार घोषित करने तथा अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का विक्रय अन्य अप्रार्थी को कर दिये जाने के कारण यह रेफरेंस प्रस्तुत किया गया। अपर जिला कलेक्टर ने रेफरेंस दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। बावजूद सूचना के अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये अपने निर्णय दिनांक 22–05–2006 से रेफरेंस प्रकरण यह अनुशंषा करते हुये कि अप्रार्थीगण किसी दृष्टि से खातेदार घोषित किये जाने योग्य नहीं है, राजस्व मंडल को प्रेषित कर दिया।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी।

4. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि अप्रार्थीगण खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत खातेदार को ही रीलीफ प्राप्त हो सकती है। इसके लिये खातेदार स्वयं को सिद्ध करना होता है कि वह खातेदार है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में यह माना है कि दिनांक 17.02.1984 को तहसीलदार ने विवादित आराजी अप्रार्थी के पक्ष में नियमन करने की सिफारिश की थी। परंतु भूमि शहरी क्षेत्र में आने के कारण उसमें नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर एक अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज है और एक अतिक्रमी खातेदार नहीं हो सकता। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि एक अतिक्रमी भूमि आवंटन एवं नियमन करवाकर गैर खातेदारी–खातेदारी प्राप्त कर सकता है किंतु धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता। अप्रार्थीगण किसी भी दृष्टिकोण से खातेदार घोषित करने योग्य नहीं है परंतु उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15.12.1987 से उन्हें खातेदार घोषित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार कर उपखण्ड

अधिकारी के आदेश दिनांक 15.12.1987 को निरस्त करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जरिये लिखित बहस कथन किया कि विवादित आराजी जिसका कुल रकबा 22 बीघा रहा है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों का संवत् 2012 से कब्जा चला आ रहा है। उक्त 22 बीघा आराजीयात में से 11 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट होता है। उक्त आराजीयात स्व0 महाराजा की रही है जिसे उन्होने माफी में मुरली मनोहर जी को दी थी। जिस पर अप्रार्थीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से निरंतर काश्त करते आ रहे है और उसी आधार पर वह खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वाद बाबत खातेदारी घोषणा जिसे उन्होने स्वीकार कर कुल रकबा 2 कुल किता 22 बीघा में से 11 बीघा भूमि का खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 से 6 पूर्वाधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को घोषित करने के आदेश दिये है। जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1व 2 के नाम नामांतरकरण संख्या 157 स्वयं तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.02.1998 को स्वीकृत किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय किये जाने के उपरांत अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के पक्ष में जरिये नामांतरकरण विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 3 के फौत होने पर नामांतरकरण संख्या 2551 दिनांक 26.06.2020 उसके वारिसान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त सभी नामांतरकरण स्वयं तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये है इसलिये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.1987 की जानकारी उन्हें प्रारंभ से ही थी। उसके बाद भी उक्त निर्णय एवं डिक्री की अपील समयावधि में पेश नहीं की जाकर लगभग 19 वर्ष पश्चात अपर जिला कलेक्टर के समक्ष रेफरेंस प्रस्तुत किया गया। जिसे अपर जिला कलेक्टर ने मियाद अधिनियम के प्रावधानों को नजरअंदाज कर एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत निर्णय एवं ड्रिकी दिनांक 15.12.1987 को निरस्त करवाये जाने हेतु रेफरेंस प्रार्थना पत्र मंडल में प्रस्तुत किया जो पूर्णतः मियाद बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेफरेंस में वर्णित भूमि काबिल काश्त योग्य भूमि है। लगभग 35 वर्षों से उक्त आराजी की खातेदारी अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। उक्त आराजी का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय हो चुका है। जिसका रेफरेंस माननीय न्यायालय के समक्ष अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

प्रतिपादीत न्यायिक दृष्टांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक ने 2010 आर0बी0जे0 पेज 486, 2016(1) आर0आर0टी0 पेज 718, 2018 डी0एन0जे0(1) पेज 23, 2018–19 (Supp.) आर0आर0टी0 पेज 593 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये हस्तगत रेफरेन्स को खारिज करने का निवेदन किया ।

7. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. इस रेफरेंस प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस और लिखित बहस का भी अवलोकन किया गया। समस्त विवरण के आधार पर इस प्रकरण की तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का परीक्षण किया गया। इन सब के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियां पूर्व में मुरली मनोहर जी मंदिर, पुष्कर की माफी मंदिर की भूमियां थी। जिन पर रेस्पो0 पक्षकारों व उनके पूर्वजों द्वारा काश्त की जाती थी। रेस्पो0 पक्ष द्वारा इस संबंध में परीक्षण न्यायालय में दिनांक 12–12–1947 की तहरीर प्रस्तुत की गई है जिसमें उनके द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर काश्त किये जाने के बदले राशि का भुगतान किया गया है। मंदिर माफी की भूमियों के जागीर रिजम्शन के पश्चात राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने के उपरांत रेस्पो0 काश्तकार पक्ष द्वारा इस पर आगामी वर्षो में निरंतर काश्त किया जाना परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजात के आधार पर सिद्ध एवं प्रमाणित होता है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर वादग्रस्त भूमियों पर काश्त के संबंध में तत्कालीन राजस्व दस्तावेजात क्रमशः मिलान क्षेत्रफल, खसरा परिवर्तन सील की नकलें, वर्किंग जमाबंदी की नकलें, मंदिर माफी को देय लगान राशि की रसीद और साक्ष्य में स्वतंत्र गवाह भी पेश किये गये है। इस संबंध में प्रस्तुत उक्त सभी राजस्व दस्तावेजात के आधार पर सिद्ध होता है कि रेस्पो0/अप्रार्थी पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर संवत् 2012 के पूर्व से ही ज्वार, बाजरा और अन्य फसलों की काश्त की जाती रही है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों के राजस्व दस्तावेजात व संबंधित साक्ष्य के आधार पर रेस्पो0/अप्रार्थी पक्ष का संवत 2012 के पूर्व से ही आगे के वर्षो में काश्त किया जाना सिद्ध एवं प्रमाणित होता है। परीक्षण न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में भी वादग्रस्त भूमियों पर रेस्पो0/वादी पक्ष का पुराना

कब्जा काश्त होने से इनकार नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमियों पर रेस्पो0/वादी पक्ष का संवत 2012 के पूर्व से ही निरंतर कब्जा काश्त के आधार पर संबंधित तहसीलदार द्वारा उनके आदेश दिनांक 17-02-1984 द्वारा वादग्रस्त भूमियों का रेस्पो0/वादी पक्ष की खातेदारी में नियमन करने की अनुशंषा की गई थी। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत दावे में खातेदारी अधिकार की घोषणा के उपरांत संबंधित तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा उक्त निर्णय और डिक्री का दिनांक 22-02-1988 को नामांतरकरण संख्या 188 स्वीकृत किया गया था। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2018-19 (Supp.) आर0आर0टी0 पेज 593 में अभिलिखित किया गया है कि-

Rajasthan Land Revenue Act, 1956 -Section 82- Land of khasra number 5335 decleard to be khatedari of plaintiffs non-petitioners land was siwai chak- Reference-SDO passed the judgment after hearing both the parties- If the State Government was aggrieved, judgment ought to have been challenged in appeal-Reference filed after expiry of limitation- Reference could not be option of appeal- Held, Decree cannot be set aside by rererence- Reference is liable to be dismissed.

उक्त के अनुसरण में समय प्रावधित में अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर रेफरेन्स मियाद समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स अपील का विकल्प नहीं हो सकता है व ना ही रेफरेन्स के द्वारा डिक्री अपास्त की जा सकती है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.1987 क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं है, ऐसी स्थिति में जहां अपील का प्रावधान हो व निर्णय क्षेत्राधिकार के अन्दर पारित किया गया हो, ऐसी डिक्री को रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता है।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि शेष आराजी खसरा संख्या 453मिन रकबा 11 बीघा बाबत रामकरण पुत्र रामचन्द द्वारा प्रस्तुत खातेदारी घोषणा हेतु राजस्व वाद में पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर नामांतरकरण संख्या 162 दिनांक 15.03.1998 को रामकरण पुत्र रामचन्द के नाम स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा उपरोक्त 11 बीघा आराजीयात अन्यत्र बेचान की गयी है एवं केतागण रमेशचन्द पुत्र शांतिलाल के नाम उक्त आराजीयात राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। जिस बाबत किसी प्रकार का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि एकमात्र अप्रार्थीगण के के विरूद्व द्वेषताववश तहसीलदार किशनगढ द्वारा

रेफरन्स प्रकरण बनाया जाकर 19 वर्ष पश्चात अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिनके द्वारा माननीय मण्डल के समक्ष आक्षेपित निर्णय से मियाद बाधित रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया है, जो प्रथमदृष्ट्या ही निरस्त किये जाने योग्य है।

वादग्रस्त भूमियों के खातेदारी अधिकार के उपरांत रजि0 विक्रय पत्र के द्वारा भूमि को विक्रय किया जाकर विक्रय पत्र के आधार पर पश्चातवर्ती नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर क्रेता पक्ष की राजस्व रिकॉर्ड में लंबे समय से खातेदारी दर्ज रही है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी दुलीचंद की मौत हो जाने के उपरांत इसका वादग्रस्त भूमियों बाबत विरासतन नामातंरकरण संख्या 255 दिनांक 26-02-2020 भी स्वीकृत किया गया है। इन सब के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियां लंबे समय से रेस्पो0 पक्ष के खातेदारी अधिकार में विधिवत दर्ज चली आ रही है जिनकी राजस्व कार्मिकों को प्रारंभ से ही संपूर्ण जानकारी में होना पाया जाता है। इतने लंबे समय से खातेदारी में दर्ज चली आ रही भूमियों के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा उनके यहां विचाराधीन राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संबंध में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-12-1987 के संबंध में अत्यधिक विलंब के पश्चात यह रेफरेंस प्रकरण पेश किया गया है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि दिनांक 15-12-1987 को उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री की संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरकरण स्वयं द्वारा स्वीकृत कर संबंधित जमाबंदी में व अन्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चले आ रहे है। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध एवं प्रमाणित होता है कि उक्त निर्णय एवं डिक्री की संबंधित तहसीलदार व राजस्व कार्मिकों को प्रारंभ से ही पूर्ण जानकारी थी। यदि उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता होती तो उन्हें इसकी विधिक प्रावधानों के अनुसार अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार था। इस प्रकार उक्त निर्णय एवं डिक्री जिसके संबंध में अपील किये जाने के विधिक प्रावधान उपलब्ध है, उसके संबंध में विधि अनुसार अपील नहीं की जाकर अत्यधिक असाधारण विलंब से रेफरेंस प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही को विधिसंगत एवं न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में रेस्पो0/अप्रार्थी पक्ष के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों के आधार पर इसी विधिक स्थिति की पुष्टि होती है। इस रेफरेंस प्रकरण को प्रस्तुत करने के संबंध में 19 वर्षो से भी अधिक समय का विलंब किया गया है जो असाधारण रूप से अत्यधिक विलंब की श्रेणी में आता है। इस अत्यधिक विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का संपूर्ण विवरण धारा 5 मियाद अधिनियम

के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था जो प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है इस अत्यधिक विलंब के संबंध में विलंब को कन्डोन करने के लिये स्वीकार करने योग्य युक्तियुक्त आधार व कारणों का भी विवरण दिया जाना आवश्यक था जो प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस स्थिति में रेस्पो0/अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों के अनुसार इस असाधारण रूप से अत्यधिक विलंब को विधि अनुसार कन्डोन नहीं किया जा सकता है।

9. अतः उक्त रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत करने में किया गया अत्यधिक असाधारण विलंब को कन्डोन/माफ किया जाना विधिसंगत एवं न्यायोचित नहीं पाये जाने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत यह रेफरेंस प्रकरण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। परिणामस्वरूप धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत यह रेफरेंस प्रकरण खारिज योग्य पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है। उक्तानुसार यह रेफरेंस प्रकरण फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

10. निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य